(घ) क्या सरकार विचाराधीन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये न्यायालयों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). (i) उच्चतम न्यायालय के संबंध में जो स्थिति 31-10-1977 को थी उसकी जानकारी विवरण I में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-1037/77]

(ii) उच्च न्यायालयों के संबंध में जो स्थिति 30-6-1977 को थी उसकी जानकारी विवरण II में दी गई है। [ग्रन्थालय मे रखा गया । देखिये संख्या एलटी-1037/77]

(घ) और (ङ). मामलों के संचालन के लिए उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का विनियमन विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा होता है। भारत के मुख्य न्यायाधिपति इस समस्या से अवगत हैं और वह उच्च न्यायालयों से परामर्श करके कुछ उपाय तैयार कर रहे हैं।

गोरखपुर कारखाने के कर्मचारियों द्वारा भूतपूर्व जनरल मैनेजर के विरुद्ध ज्ञापन

351. **श्री उग्रसैन** : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अगस्त, 1977 में उर्वरक कारखाना कर्मचारी संघ से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिस में उर्वरक कारखाने (उत्तर प्रदेश) के भूतपूर्व जनरल मैनजर और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस में की गई मुख्य शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) से (ग). एफ० सी० आई० के गोरखपुर स्थित ऐएकक के भूतपूर्व महा-प्रबन्धक श्री के० एस० एल० आनन्द और अन्य अधिकारियों के विरुद्ध ठेका आदि देने में कुछ अनियमितताओं के बारे में 21 आरोपों का एक ज्ञापन फर्टिलाइजर कारखाना मजदूर संघ, गोरखपुर से प्राप्त हुआ था। एफ० सी० आई० द्वारा आरोपों की जांच की गई है और रिपोर्ट पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

Cases pending against M/s. Maruti Limited, Gurgaon

352. SHRI SHYAM SUNDER GUPTA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases pending against M/s. Maruti Limited, Gurgaon for violation of the provisions of the Companies Act;

(b) the number of such cases which are under investigations; and

(c) the number of such cases in which criminal proceedings are being initiated?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) No case is pending in a court of law against M/s. Maruti Limited for violation of the provisions of the Companies Act, 1956.

(b) The company has not complied with the provisions of Section 149(2A) of the Companies Act, 1956 as it failed to file the necessary declaration as prescribed. The company has not also complied with the provisions of Rule 10 of Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 read with the Section 58-A of the Companies Act as it did not file the prescribed return of deposits.

Necessary default notices for the above defaults have been issued on 15-9-77 and 20-9-77. The replies received in the matter are under examination.

(c) In no case, criminal proceedings have been initiated against the company under the provisions of Companies Act, 1956.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नई रेलवे लाइनों के लिए बजट में प्रावधान

353. श्री उग्रसेन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के लगभग चार करोड़ लोगों के लाभ के लिए कोई नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए चालू बजट में व्यवस्था की गयी है ; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे की वे रेलवे लाइनें कौन सी हैं जिन के लिए सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, छितौनी और बगहा के बीच मीटर लाइन को पुनः आरम्भ करने, बाराबंकी से समस्तीपुर और वाराणसी से भटनी तक आमान परिवर्तन की परियोजनाओं की भी व्यवस्था की गयी है ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली पूर्वोत्तर रेलवे पर निम्नलिखित नयी लाइनों के लिए सर्वेक्षण पूरे कर लिए गये हैं :—

(i) सहजनवां से दोहरी घाट तक बड़ी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण, और

(ii) नौतनवां से सौनोली तक प्रस्तावित नयी लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात टोह सर्वेक्षण ।

निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण किये जा रहे हैं :—

(i) शाहजहानपुर मोहम्मदी के रास्ते फरुखाबाद और गोला गोकरननाथ के बीच नयी रेलवे लाइन बिछाने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण, और

(ii) मनकापुर कटरा शाखा लाइन के परिवर्तन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।

निम्नलिखित नये सर्वेक्षणों को चालू वर्ष के बजट में शामिल किया गया है :—

(i) मऊ-शाहगंज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ;

(ii) सीतापुर-बुढ़वल खण्ड के आमान परिवर्तन के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण , और

(iii) गाजीपुर– बलिया खण्ड के रास्ते वाराणसी-छपरा के मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण ।